

ପିତ୍ତର

उत्तर प्रदेश नुजिरा प्रस्थानी, लखनऊ-१

અને ૫૦૦ રૂપાંશ નાંસુરો/લાદુન ખાત્માંથી બીજીએ ગો સૌથી ગતી યો પરીક્ષા-2001

અનેકાર પત્ર માટે ચારોં ગુણ વાસ્તવિક રીત- ૧૬ અનુદ્ધવ

उत्तम पुस्तिकालीन वर्षों में उपलब्ध होने वाली अनुसूचित जाति एवं उपलब्ध उपनिषद्ग्रन्थों का विवरण दिया गया है। इसका उपर्युक्त उपलब्ध वर्षों में उपलब्ध होने वाली अनुसूचित जाति एवं उपलब्ध उपनिषद्ग्रन्थों का विवरण दिया गया है।

सरकार द्वारा निश्चित संख्या में उप निरीक्षक नामुप०/फाइर कमांडर एवं
प्रशिक्षण के लिये उच्चीत्वादार जून जॉर्ज तथा अधिकारी प्रशिक्षण के पश्चात उप निरीक्षक
नामुप०/फाइर कमांडर थीं जो आधिकारी प्रशिक्षण के पश्चात ५५००-१७५-९०००
देवलकम (Pay Scale) में नियुक्त किया जायगा । पुरुष ऐसोशन के प्रतर०५३४ के
प्राप्तान के हेतु हुए भी निर्भावित प्रशिक्षण में रपत्स होने वो पश्चात जाग्याधीयों और आधार्य
में अस्थायी पदों पर ही नियुक्त किया जायगा बासी कि पद उपकार्य हो । उसके उपर्यन्त
जीसै-जैसे स्वायी पद रित होने, उन्हें रखा रो नियुक्त निये जाने पर विवार निय
भागिया । अधीक्षक के लिए भारत का नामांकन होना आवश्यक है ।

(1) श्रीधिका आर्दता

• (क) आधिकारी/आधिकारिणी को किसी मान्यता प्राप्त विधिविदालय द्वा एजेंट(स्टाटक) पर

શરૂઆત હેતુ ચાહીએ । કિન્ફેલિય વર્મિટારી વાં શૈક્ષણિક પાઠ્યકાળ ઇન્સ્ટ્રુક્ટરાડિએટ હોઈ

(३) सेना ये विद्युतीय क्रमवारी का शास्त्र बनाए रखेगा।
 (४) वे अध्यक्ष/अध्यक्षिणी ये यो स्नातक को अस्तित्व वर्ते दी दीजिए।
 (५) ये अध्यक्ष/अध्यक्षिणी ये यो स्नातक को अस्तित्व वर्ते दी दीजिए।
 यहाँपर्याप्ति हो जाएगी हो। और परीक्षाकृ विद्युत ये दूसरा हो, इस पाठे पर आवेदन पद देखा जाएगा। ये एक वार्षिक ये विद्युतीय अनुसूची हुए हो उनका अधिकार यह अस्तित्व का
 होने वाला हो।

(2) आयु रक्तम्

1 चुलाई 2001 चो आयार्थी/आयार्थीनी यसी आइ. २। वर्ष से बाटा दिया 25
गर्ने दो अधिक गाई सेवा खाइए। आयोज उत्तमी जन्मतिथि १-७-१९७६ को पर्दाले एवं
१-७-१९४० ने बाट नो न ले।



ग्रन्थालयित थे। वे आग्यधियों गी प्रथमांश पद्म हेतु निर्धारित जायु की विभिन्नता के लिए उपयोग सम्भव रूप से उपयोगित होने वाली थी।



- १७- अग्रेशन पद्ध या मात्रप - रोलन है।
- १८- प्रारम्भिक वास्तुनिष्ठ परीक्षा का पालयकाम (परिशिष्ट "क")
- १९- मुख्य सिद्धित परीक्षा का पालयकाम (परिशिष्ट "ख")
- २०- अधिकारी संख्या ४८८/सबह-वि-१(क)-६-१९९४, तिथि २३ मार्च १९९४ द्वारा जारी डॉक्टर रोल रैवा (अग्रसुचित जातियों, अग्रसुचित धनजातियों और अन्य पिछड़ी वर्गों के लिये आरक्षण) अधिकारीया १९९४ वर्षी अग्रसुचित-१ में विगरिष्ट पिछड़ी जातियों/वर्गों वाली रुची।
- २१- हरिहर-सहायक अनुग्राम के शासनाधिकारी संख्या ६७४४/२६-७७-१७(२१)७४, डिओ २९ अगस्त १९७७ ऐ उद्दिष्ट अनुसुचित जातियों की रुची।

पुलिस उपभासानिरीक्षक "स्थापना"

एवं संवित, पुलिस/पी०प०सी० नर्सी बोर्ड,
उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।

गोट:-

उक्त विज्ञापन में वर्णित प्रयत्न-१, प्रयत्न-२, प्रयत्न-३, प्रयत्न-४, परिशिष्ट 'क', परिशिष्ट 'ख', अनुसुची-एक, अनुसुची-दो उक्त विज्ञापन में नहीं छापे जा रहे हैं। उक्त सभी प्रयत्नों, परिशिष्टों तथा अनुसुचियों की जानकारी वरिष्ठ पुलिस अधीकारक पुलिस अधीकारक के कार्यालयों से प्राप्त की जा सकती है। इसके लिये ग्रामीण के सभी वरिष्ठ पुलिस अधीकारक तथा पुलिस अधीकारक जिले प्रभारी ने विधिवत कर दिया गया है। विज्ञापन यह प्राप्त एवं अन्य संबंधित प्रयत्न, सुचनाएं उत्तर पुलिस विभाग वाली वेब साईट <http://www.uppolice.org> पर भी उपलब्ध है।



आदेश

निरीक्षक नागरिक पुलिस सीधी भर्ती सत्र-2001 उत्तर पुलिस पी०ए०सी० भर्ती बोर्ड निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर प्रशिक्षण हेतु चयनित अभ्यर्थी श्री अशोक कुमार पुत्र श्री श्याम सुन्दर यादव अनुक्रमांक: 04404217 को उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के प्रशिक्षण हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर एतद् द्वारा आवंटित किया जाता बांस्क प्रशिक्षण दिनांक: 01-12-2005 से प्रारम्भ होगा। यह चयन/बेसिक प्रशिक्षण विभिन्न छात्राओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अधीन रहेगा। प्रशिक्षण के यह अभ्यर्थी रूपया-1,000/- (एक हजार रूपये मात्र) नियत स्टाइपेण्ड के रूप में प्राप्त अभ्यर्थी का स्थायी/अस्थाई पता निम्नवत् है:-

स्थायी पता	अस्थायी पता
दोहारा (अवरही), पोस्ट: तिरमा साहुन, तुकपट्टी, जनपद: कुशीनगर।	सी-307 निराला नगर, पोस्ट: निराला नगर, धाना: हसनगंज, जनपद: लखनऊ।

२८७
क०पी० सिंह ५१००१

पुलिस उपाधीक्षक, विधि प्रकोष्ठ,
निपुलिस उपमहानिरीक्षक, स्थापना,
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद-

संख्या: पॉच-111(प्रशिक्षण)2001 दिनांक: नवम्बर /८, 2005

प्रतिलिपि निम्नानिकांत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर को इस अनुरोध विधि प्रेषित है कि वे कृपया प्रशिक्षण संस्थान में अभ्यर्थियों के आगमन पर प्रशमतः उन्नक विचकित्सा परिषद से स्वास्थ्य परीक्षण दिनांक: 30-11-2005 को कराकर उच्चुब्त (फिट) अभ्यर्थियों का आगमन प्रशिक्षण हेतु करायें तथा अनुयुक्त वायरों की सूचना पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध करायें तथा अग्रिम आदेश/निर्देश तक उनके विचार को कार्यवाही स्थगित रखें।

चरित्त/पुलिस अधीक्षक लखनऊ/कुशीनगर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उन अभ्यर्थी को सम्बन्धित थाने के माध्यम से बिलम्बतम 03 दिवस के अन्दर अवश्य उनके वराने की व्यवस्था करें, तथा इससे पुलिस मुख्यालय को भी अवगत करायें।

श्री अशोक कुमार यादव पुत्र श्री श्याम सुन्दर यादव (पता उपरोक्त) को निर्देशित किया गया कि वह अपने हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट, स्नातक एवं जाति प्रमाण पत्र यथा अन्य वायरों/अनुसूचित जाति/अनु० जनजाति के समस्त मूल प्रमाण पत्रों सहित अपने व्यक्त वर्तमान तिथि को अस्थाई उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद के बेसिक प्रशिक्षण हेतु उच्च प्रशिक्षण केन्द्र में आमद के लिये दिनांक- 29-11-2005 को उपस्थित हो। पुलिस महाविद्यालय में प्रवेश निर्देश की एक प्रति अनुपालन हेतु परिशिष्ट “ख”-(1) एवं “ख”-(2) संलग्न है।

उपर वे नियत तिथि व समय के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपर नहीं होते हैं तो वे भविष्य में प्रशिक्षण के अवसर से बंचित कर दिये जाएंगे और उनके चयन सूची से हटा दिया जायेगा। अभ्यर्थी को इस प्रशिक्षण हेतु शासन को अंतर्भुक्त घोषित कराकर अपने साथ लेकर आवंटित पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय को प्रस्तुत

प्रशिक्षण केन्द्र के लिये निर्देश क (1) एवं क (2) संलग्न है।

कार्यमुक्त करने संबंधी अदेश
आदेश

इस जनपद में नियुक्त उपनिरीक्षक ना०पु० श्री अशोक कुमार यादव को प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन नियुक्ति अनुभाग-४ के विज्ञपति संख्या:१२४७/दो-४-०९-३२(१)/२००८ दिनांक:१-४-२००९ के द्वारा बेतनमान रु० ९०००-२५०-१०७५०-३००-१३१५०-३५०-१४५५० में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद पर अस्थाई रूप से चयनित किये जाने के फलस्वरूप माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के नोटिफिकेशन संख्या: १३८३/ए-आर(एस)२००९ दिनांक:२०-६-२००९ के द्वारा एडिशनल सिविल जज जूनियर डिवीजन हमीरपुर में नियुक्ति किया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद के पत्रांक: पॉच-७००(अनुमति)२००८ दिनांक:१०-७-२००९ द्वारा इनको कार्यमुक्ति किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः उपनिरीक्षक ना०पु० श्री अशोक कुमार यादव की एडिशनल सिविल जज जूनियर डिवीजन हमीरपुर के पद पर नियुक्ति हो जाने के फलस्वरूप उ०प्र० पुलिस विभाग से कार्यमुक्ति किये जाने हेतु दिनांक: १५-७-२००९ निर्धारित की जाती है।

संख्या:त-२२१/२००९

दिनांक: जुलाई १३, २००९

*Qb
13/7*
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
गाजियाबाद।

- 1- प्रतिलिपि: पुलिस उपमहानिरीक्षक, स्थापना, उ०प्र० पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद को उनके पत्र संख्या:पॉच-७०० (अनुमति)-०८ दिनांक:१०-७-२००९ के सन्दर्भ में सूचनार्थी।
- 2- प्रतिलिपि: पुलिस महानिरीक्षक, मेरठ परिक्षेत्र, मेरठ को सूचनार्थी।
- 3- प्रतिलिपि: जिला जज हमीरपुर को सूचनार्थी।
- 4- प्रतिलिपि: प्रतिसार निरीक्षक को हिन्दी आदेश पुस्तिका में अंकन करने हेतु।
- 5- प्रतिलिपि: उपनिरीक्षक ना०पु० श्री अशोक कुमार को अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु।
- 6- प्रतिलिपि: आंकिक को सचनार्थी।

कार्यभार ग्रहण का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि न्यायालय अपर सिविल जज (जूडी) हमीरपुर का पदभार माननीय उच्च न्यायालय की विज्ञप्ति सं 1408/ए0आर0(एस0)/2009 दिनांकित 29.6.09 के अनुपालन में जैसा कि यहां व्यक्त किया गया है आज दिनांक 15.7.2009 की अपराह्न में ग्रहण किया।

मोचक अधिकारी

अशोक कुमार यादव
(अशोक कुमार यादव)

प्रति हस्ताक्षरित

जनपद न्यायाधीश
हमीरपुर 15/07/09

जनपद न्यायाधीश

हमीरपुर [ठ० प्र०]

कार्यालय जनपद न्यायाधीश हमीरपुर

पत्रांक १५१ / प्रथम-१७-१०७९ दिनांकित : जुलाई 15, 2009

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1— महा निबन्धक, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद।
- 2— सहायक निबन्धक(सेवाये), माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद।
- 3— संयुक्त निबन्धक (कम्प्यूटर) माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद।
- 4— सचिव उ०प्र० शासन नियुक्ति अनुभाग -4 लखनऊ।
- 5— संयुक्त निदेशक (कोषागार) केंप्ट आफिस प्रथम तल नवीन कोषागार भवन कचहरी रोड इलाहाबाद।
- 6— प्रमुख सचिव न्याय एवं विधि परामर्शी उ०प्र० शासन लखनऊ।
- 7— निजी सचिव, माननीय निरीक्षक न्यायाधीश, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद।
- 8— वरिष्ठ कोषाधिकारी हमीरपुर।
- 9— सम्बन्धित अधिकारी।
- 10— बिल लिपिक।

Senior Admin. Officer
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
जनपद न्यायालय हमीरपुर
Senior Administrative Officer
District Judge's Court
Hamirpur (U.P.)

Ch.Cer.

4

प्रेषक,

अशोक कुमार यादव-तृतीय,
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
झांसी।

सेवा में,

श्रीमान् महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा,

श्रीमान् जनपद न्यायाधीश,
झांसी।

विषय: उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में की गई सेवा को वर्तमान न्यायिक सेवा के साथ जोड़ने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सन्दर्भ में सम्मान निवेदन करना है कि प्रार्थी न्यायिक सेवा में आने से पूर्व उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में उपनिरीक्षक के रूप में जनपद गाजियाबाद में नियुक्त था तथा पुलिस विभाग से विभागीय अनुमति प्राप्त कर न्यायिक सेवा में सम्मिलित हुआ था। प्रार्थी का उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में चयन होने के उपरान्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गाजियाबाद की अधिसूचना संख्या-1407.2009 को निर्मुक्त होकर, माननीय उच्च इलाहाबाद की अधिसूचना संख्या-1408/ए.आर.(एस)/2009 दिनांकित-29.06.2009 के अनुसरण में प्रार्थी द्वारा दिनांक-15.07.2009 को न्यायिक सेवा में अपर सिविल जज (जू.डि.०), हमीरपुर के रूप में कार्यभार ग्रहण किया गया। प्रार्थी की पुलिस विभाग से संबंधित सेवा पुस्तिका वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गाजियाबाद के कार्यालय में अनुरक्षित है।

प्रार्थी की पूर्व में की गई सेवा से सम्बन्धित अवधि वर्तमान न्यायिक सेवा में अभी तक नहीं जुड़ी है। जबकि प्रार्थी द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में दी गयी सेवा भी उत्तर प्रदेश शासन के अधीन है एवं प्रार्थी की सेवा अवधि निर्बाधित रही है और इसके न जोड़े जाने से प्रार्थी की सेवा की अवधि बाधित हो रही है, जिससे प्रार्थी प्राप्त होने वाले अन्य लाभों से वंचित रह सकता है।

अतः महोदय से अनुरोध है कि प्रार्थी द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में की गई सेवा को वर्तमान न्यायिक सेवा में जोड़ने के सम्बन्ध में आयश्यक कार्यवाही करने हेतु तत्सम्बन्धित को निर्देशित करने की कृपा करें। प्रार्थी की सेवा पुस्तिका वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गाजियाबाद (उ०प्र०) से मंगाकर उक्त सेवा अवधि को जोड़ने की कृपा करें। आपकी महती कृपा के लिए प्रार्थी सदैव आभारी रहेगा।
सादर!

दिनांक-25.11.2021

संलग्नक-

1. निर्मुक्ति आदेश की छायाप्रति।
2. कार्यभार ग्रहण प्रमाणपत्र की छायाप्रति।
3. उ०प्र० शासन की विजसि/नियुक्ति प्रार्थनापत्र की छायाप्रति।
4. माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के नोटिफिकेशन की छायाप्रति।

भवदीय,

अशोक कुमार यादव-तृतीय
(अशोक कुमार यादव-तृतीय)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झांसी।